

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर गाजुवास

अनुवान रामेश्वर बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या -268/2025

निर्णय दिनांक 03/07/2025

रामेश्वर पुत्र झांगीर सिंह जाति जाट निवासी झांझनी तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर गाजुवास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 315 खसरा नं. 112 तादादी 2.0232 हैक्ट., खसरा नं. 187 तादादी 10.6850 हैक्ट., खसरा नं. 241 तादादी 11.2793 हैक्ट., खसरा नं. 271 तादादी 1.2645 हैक्ट., खसरा नं. 63 तादादी 2.8831 हैक्ट., खसरा नं. 79 तादादी 0.2529 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम झांझणी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र माली दर्ज है जो कि गलत है सही नाम रामेश्वर पुत्र माली पत्नी झांगीर सिंह है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र माली पत्नी झांगीर सिंह किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम झांझणी तहसील तारानगर के खाता संख्या 315 खसरा नं. 112 तादादी 2.0232 हैक्ट., खसरा नं. 187 तादादी 10.6850 हैक्ट., खसरा नं. 241 तादादी 11.2793 हैक्ट., खसरा नं. 271 तादादी 1.2645 हैक्ट., खसरा नं. 63 तादादी 2.8831 हैक्ट., खसरा नं. 79 तादादी 0.2529 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र माली Delete कर इसके स्थान पर रामेश्वर पुत्र माली पत्नी झांगीर सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/07/25 को कैम्प कोर्ट गाजुवास में लिखाया जाकर सुनाया गया।



*Rajendra*  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)